राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4 / आर–91 / 94 / अलेसे–III / 3205 दिनांक :– 26.04.2024

कार्यालय आदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नंबर–8915) तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण में गिरफ्तारी किये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा दिनांक 18.12.2015 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में श्री पाण्डे को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश संख्या 431 / 2019–20 दिनांक 02.07.2019 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में किया गया था, उक्त बहाली आदेश में निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन किये जाने का उल्लेख किया गया था।

वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया हैं कि श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे को उक्त प्रकरण में माननीय भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के सेशन प्रकरण संख्या 06 / 2016 के निर्णय दिनांक 08.02.2024 में दण्डित कर सजा सुनाई गई, जिसकी पालना में श्री पाण्डे दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 23.02.2024 तक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में सजायाफ्ता रहे है। उक्त सजा के आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डे ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 291 / 2024 में आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा माननीय भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के सेशन प्रकरण संख्या 06 / 2016 के उक्त निर्णय दिनांक 08.02.2024 में दण्डित सजा को स्थगित किया है, जिसकी पालना में श्री पाण्डे को दिनांक 23.02.2024 को कारागृह से रिहा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 में श्री पाण्डे की दोष सिद्धि के संबंध में कोई निर्णय अंकित नहीं है।

अतः श्री पाण्डे को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत 48 घन्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण दिनांक 08.02.2024 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री पाण्डे का मुख्यालय कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर किया जाता हैं। श्री पाण्डे को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4 / आर–91 / 94 / अलेसे–III / 3205 दिनांक :– 26.04.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. कोषाधिकारी बीकानेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नंबर–8915) कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. गेपनीय शाखा / पदस्थापन सीट / विधि एवं जांच / मासिक सूचना हेतु।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)